उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-5/2858/30-3-13-20बी/2013
लखनऊ दिनॉक 25 सितम्बर, 2013

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट के निर्माण हेतु मॉडल नक्शों का मानकीकरण एवं लागत के अनुमोदन विषयक शासनादेश संख्या-2057/30-3-13-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 के प्रस्तर-1 में निहित शर्त संख्या-(4) में "परिवहन आयुक्त" के स्थान पर "कार्यदायी संस्था" पढा जाये।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

बी0एस0 भुल्लर,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-5/2858(1)/30-3-2013, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
6- वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-9
7- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक को परिवहन आयुक्त के माध्यम से।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in